

[2023] 1 एस सी आर 907 ए

ए.

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम.

राजेश दुआ और ओआरएस।

(2023 की सिविल अपील संख्या 363) 20 जनवरी, 2023

बी.

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 -धारा 24 (2)-उच्च न्यायालय ने श्रीमती के मामले में अपने निर्णय पर भरोसा किया। हरबंस कौर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार और अन्य, जिसमें उसने उच्चतम न्यायालय पर भरोसा किया था।

सी.

पुणे नगर निगम और ए. एन. आर. के मामले में निर्णय।हरकचंद

मिसिरीमल सोलंकी और अन्य-इसने अभिनिर्धारित किया कि संदर्भ न्यायालय में मुआवजे की राशि जमा करने को भूमि मालिकों को भुगतान किए गए मुआवजे के रूप में नहीं माना जा सकता है और घोषित किया कि विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण को समाप्त माना जाता है क्योंकि विषय भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा भूमि अधिग्रहण एजेंसी से नहीं लिया गया था-अभिनिर्धारित किया गया:फैसला

डी.

पुणे नगर निगम के मामले में और ए. एन. आर. बनाम.हरकचंद

मिसिरीमल सोलंकी और अन्य को बाद में खारिज कर दिया गया है।

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम में संविधान पीठ का निर्णय।

ई.

मनोहरलाल और अन्य-तत्काल मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, विचाराधीन भूमि के संबंध में मुआवजा वर्ष 1967 में संदर्भ न्यायालय में जमा किया गया था और 1967 और 2017 के बीच, मुआवजे का भुगतान न करने के संबंध में मूल भूमि मालिकों की शिकायत दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है और भूमि का

कब्जा वर्ष 1967 में लिया गया था-इसलिए, उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय अस्थिर-तदनुसार, रद्द कर दिया गया-अपील की अनुमति दी गई।

एफ.

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य।

(2020) 8 एससीसी 129:[2020] 3 एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया।

जी.

पुणे नगर निगम और अन्न बनामहरकचंद

मिसरीमल सोलंकी एंड ऑर्स (2014) 3 एस. सी. सी. 183:[2014] 1 एस. सी. आर. 783-संदर्भित।

श्रीमती. हरबंस कौर बनाम। दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार और अन्य।

[2014 का डब्ल्यू. पी. (सी) 5358,02.02.2015 पर तय किया गया-संदर्भित।

एच.

907

908 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

मामला कानून संदर्भ

[2020] 3 एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा **4,4.1,5**

(2014) 3 एस. सी. सी. 183 पैरा 2,4.1 में निर्दिष्ट है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:सिविल अपील No.363

2023.

बी.

2017 के डब्ल्यूपी (सी) No.6478 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 05.09.2017 के निर्णय और आदेश से।

अतुल कुमार, सुश्री स्वीटी सिंह, सुश्री अर्चना कुमारी, राहुल पांडे, अब्स काद्यान, राजीव रंजन, मिश्रा सौरभ, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, निशित अग्रवाल, सुश्री कनिष्का मित्तल, सुश्री

वन्या अग्रवाल, अश्विनी कुमार, अंशय धतवालिया, सुश्री बीनू टम्टा, सुश्री स्मिता मान, नितिन मिश्रा, ईशान शर्मा, मोहित कुमार गुप्ता, शेखर यादव, सुश्री इति शर्मा, राहुल भाटिया, रचिता काद्यान, एन. एस. वशिष्ठ, गगन गुप्ता, सुश्री आस्था त्यागी, दिनेश चंदर त्रेहन, सुश्री दीक्षा नरूला, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

सी.

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2017 की लिखित याचिका (सी) संख्या 6478 में पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और घोषणा की है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद "अधिनियम, 1894" के रूप में संदर्भित) के तहत शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम, 2013" के रूप में संदर्भित) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के तहत समाप्त माना जाता है।

ई.

एफ.

2. वर्तमान मामले में, विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1964 में किया गया था और पुरस्कार वर्ष 1967 में घोषित किया गया था। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (एल. ए. सी.) के अनुसार और इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि विचाराधीन भूमि का कब्जा वर्ष 1967 में पंचनामा बनाकर ले लिया गया था। विचाराधीन भूमि के संबंध में मुआवजा वर्ष 1967 में ही संदर्भ न्यायालय में विधिवत जमा किया गया था। कि इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2-मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने रिट ए दायर किया

जी.

एच.

वर्ष 2017 में उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की और यह घोषित करने का अनुरोध किया कि विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत समाप्त हो गया है क्योंकि मुआवजा वास्तव में भूमि मालिकों को नहीं दिया गया था/भुगतान नहीं किया गया था। इसके पहले के आधार पर

श्रीमती के मामले में निर्णय। हरबंस कौर बनाम। एन. सी. टी. सरकार

दिल्ली और ओआरएस। [2014 का डब्ल्यू. पी. (सी) 5358, 02.02.2015 पर निर्णय लिया गया, जिसमें पुणे के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने के बाद

बी.

नगर निगम और अन्न। बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी और अन्य, (2014) 3 एस. सी. सी. 183, यह अभिनिर्धारित किया गया कि जमा

संदर्भ न्यायालय के साथ मुआवजे की राशि को भूमि मालिकों को दिए गए मुआवजे के रूप में नहीं माना जा सकता है और उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा रिट याचिका को अनुमति दी है और घोषणा की है कि विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण को समाप्त माना जाता है क्योंकि विषय भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा भूमि अधिग्रहण एजेंसी द्वारा नहीं लिया गया है। विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

सी.

डी.

3. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

4. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि एल. ए. सी. के अनुसार, मुआवजे की राशि वर्ष 1967 में संदर्भ न्यायालय में जमा की गई थी। यहां तक कि विचाराधीन भूमि का कब्जा भी पंचनामा खींचकर ले लिया गया था, जो एक अनुमेय तरीका है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा संविधान पीठ के फैसले में देखा और अभिनिर्धारित किया गया था।

ई.

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य, (2020) 8 एस. सी. सी. 129 का मामला।

4.1 अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निर्णय लेते समय

एफ.

Smt.Harbans कौर (ऊपर) के मामले में, उच्च न्यायालय ने भरोसा जताया है

पुणे नगर निगम और ए. एन. आर. (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय पर। तथापि, इस न्यायालय के निर्णय में

पुणे नगर निगम और ए. एन. आर. (ऊपर) का मामला है

विशेष रूप से इस मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य, (2020)

जी.

8 एससीसी 129। पैराग्राफ **365** और **366** में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया है:-

“365. परिणामस्वरूप, पुणे नगर निगम में निर्णय दिया गया। [पुणे नगर निगम। बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी, (2014) 3 एस. सी. सी. 183] को इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है और

एच.

910

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

अन्य सभी निर्णय जिनमें पुणे नगर निगम [पुणे नगर निगम। बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी, (2014) 3 एस. सी. सी. 183] का पालन किया गया है, जिन्हें भी खारिज कर दिया गया है। श्री बालाजी नगर आवासीय एसोसिएशन में निर्णय। [श्री बालाजी नगर आवासीय संघ बनाम टी. एन. राज्य, (2015) 3 एस. सी. सी. 353] को अच्छा कानून निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है, इसे खारिज कर दिया जाता है और इसके बाद के अन्य निर्णयों को भी खारिज कर दिया जाता है। इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र [(2018) 3 एस. सी. सी. 412] में, धारा 24 (2) के परंतुक के संबंध में पहलू और क्या "या" को "न" के रूप में पढ़ा जाना है या "और" के रूप में विचार के लिए नहीं रखा गया था। इसलिए, वर्तमान निर्णय में चर्चा के आलोक में वह निर्णय भी प्रबल नहीं हो सकता है।

बी.

सी.

366. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हैं:

366.1. धारा 24 (1) (ए) के प्रावधानों के तहत यदि 2013 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के अनुसार पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो कार्यवाही में कोई चूक नहीं होती है। 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुआवजे का निर्धारण किया जाना है।

डी.

366.2. यदि न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर पुरस्कार पारित किया गया है, तो कार्यवाही 1894 अधिनियम के तहत 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के तहत प्रदान किए गए अनुसार जारी रहेगी जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है।

ई.

366.3. कब्जा और मुआवजे के बीच धारा 24 (2) में उपयोग किए गए शब्द "या" को "न" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की मानित समाप्ति तब होती है जब उक्त अधिनियम के शुरू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, तो मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो कोई चूक नहीं है। इसी तरह, अगर मुआवजे का भुगतान किया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई चूक नहीं है।

एफ.

जी.

366.4. 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के मुख्य भाग में "भुगतान" अभिव्यक्ति में अदालत में मुआवजे की जमा राशि शामिल नहीं है। जमा न करने का परिणाम धारा 24 (2) के परंतुक में दिया गया है, यदि इसे ए के पास जमा नहीं किया गया है।

एच.

911

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम राजेश दुआ और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

अधिकांश भूस्वामियों के संबंध में, 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के तहत दायित्व पूरा नहीं किया गया है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है। क्षतिपूर्ति (अदालत में) जमा न करने के परिणामस्वरूप भूमि

अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है। पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकांश जोतों के संबंध में जमा न करने के मामले में, 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को "भूमि मालिकों" को किया जाना है।

बी.

सी.

366.5. यदि किसी व्यक्ति को 1894 के अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत प्रदान किए गए मुआवजे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो उसके लिए यह दावा करना खुला नहीं है कि भुगतान न करने या अदालत में मुआवजे को जमा न करने के कारण धारा 24 (2) के तहत अधिग्रहण समाप्त हो गया है। भुगतान करने का दायित्व धारा 31 (1) के तहत राशि का भुगतान करके पूरा किया जाता है। जिन भूमि मालिकों ने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा था, वे यह दावा नहीं कर सकते कि अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत समाप्त हो गई थी।

डी.

ई.

366.6. 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधान को धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए, न कि धारा 24 (1) (बी) के हिस्से के रूप में।

366.7. 1894 के अधिनियम के तहत कब्जा लेने का तरीका और जैसा कि धारा 24 (2) के तहत विचार किया गया है, शव का पंचनामा रिपोर्ट/ज्ञापन तैयार करना है। एक बार जब 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाता है, तो राज्य में निहित भूमि को 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत विनिवेश का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24 (2) के तहत कोई चूक नहीं होती है।

एफ.

जी.

366.8. धारा 24 (2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब अधिकारी 2013 के अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा करने और मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहे हों। जीवन निर्वाह की अवधि

एच.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को पाँच साल की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए।

366.9.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि अधिग्रहण की समाप्त कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने के लिए कार्रवाई के नए कारण को जन्म नहीं देती है। धारा 24 2013 अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि पर लंबित कार्यवाही पर लागू होती है अर्थात् 1-1-2014। यह पुराने और समय-बाधित दावों को पुनर्जीवित नहीं करता है और न ही समाप्त कार्यवाही को फिर से खोलता है और न ही भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अमान्य करने के लिए अदालत के बजाय राजकोष में कार्यवाही या मुआवजे के जमा करने के तरीके को फिर से खोलने के लिए कब्जा लेने के तरीके की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति देता है।”

बी.

सी.

5. इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विचाराधीन भूमि के संबंध में मुआवजा वर्ष 1967 में संदर्भ न्यायालय में जमा किया गया था और 1967 और 2017 के बीच, यह दिखाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता मुआवजे का भुगतान न करने के संबंध में मूल भूमि मालिकों द्वारा प्रार्थना कर रहे थे और/या शिकायत की गई थी और कहा गया था कि विचाराधीन भूमि का कब्जा वर्ष 1967 में पंचनामा खींचकर लिया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और उसी को रद्द करने और रद्द करने के योग्य है और तदनुसार रद्द कर दिया जाता है।

डी.

ई.

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है। कोई लागत नहीं। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

एफ.

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह, एलसीआरए)

जी.

एच.